मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./स्वीकृति/विविध/751/ 2003 भोपाल, दिनांक 03/01/2025

प्रति,

संयुक्त संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आचंलिक कार्यालय (समस्त)

विषयः- मंडी की स्थाई निधि से व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

संदर्भः- प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड के पत्र क्रमांक/बोर्ड/नि./कार्ययोजना/परिपत्र/2022-23/1285 दिनांक 22-02-2023 ।

--000--

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत संदर्भित परिपत्र की कंडिका—04 में मण्डी निधि, स्थाई निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों का बोर्ड मुख्यालय से अनुमोदन के पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति/निविदा आदि का कार्य ना किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके बावजूद भी कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा स्थाई निधि से प्रस्तावित विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यय की अनुमति के निविदा स्वीकृत कर कार्यादेश जारी करने के पश्चात् कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे है, जो बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.02.2023 के विपरीत है।

अतः मण्डी निधि, स्थाई निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों हेतु व्यय की अनुमति के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बोर्ड मुख्यालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त ही प्रशासकीय अनुमोदन/निविदा स्वीकृति इत्यादि की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में बोर्ड मुख्यालय के बिना सैद्धान्तिक स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुशंसाकर्ता अधिकारी/मंडी सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार परिपत्र।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क्र./स्वीकृति/विविध/751/ 2004 भोपाल, दिनांक 03/01/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग--------------------समस्त।
3. सचिव/भारसाधक, कृषि उपज मंडी समिति.... ....जिला.........................समस्त।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./बोर्ड/नि./मंडी/कार्ययोजना/परिपत्र/2022-23/1285 भोपाल, दिनांक 22.02.2023

परिपत्र

विषयः- **मण्डी समितियो द्वारा विभिन्न निधियों से कराये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्यों को वार्षिक कार्य-योजना में सम्मिलित कर अनुमोदन विषयक् ।**

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि मण्डी समितियों द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों में निरन्तरता में विभिन्न जिधियों से निर्माण कार्य कराये जाने का ठहराव/प्रस्ताव पारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस संबंध में निम्नानुसार सुनिश्चित किया जावेः-

(1) मण्डी समितियों द्वारा वित्तीय वर्ष अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की प्राथमिकता एवं निधि (मद) निर्धारित कर समस्त प्रकार के मदों से की जा रही समस्त निर्माण कार्यों को एक कार्य-योजना में शामिल कर वार्षिक कार्य-योजना अनुमोदित करें, इस प्रकार अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना की एक प्रति संभागीय कार्यालय को भी जानकारी हेतु भेजें।

(2) यह ही नहीं, समस्त मण्डी तीन/पांच वर्ष का कार्य-योजना भी निर्धारित कर अनुमोदन किया जा सकता है. जिसमें प्रत्येक वर्ष में लिये जाने वाले कार्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगे।

(3) यदि मण्डी बोर्ड से किसी मद के अंतर्गत स्वीकृति की आवश्यकता है तो प्रस्तावित कार्य कार्य-योजना की प्रति के साथ कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण/सम्पदा/विविध/46/69/2021-22/362-363 दिनांक 04.04.2022 के बिन्दु क्रमांक (03) (01) तथा (03) (02) अनुरूप प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित कर अनुमोदन उपरांत प्रावधानित अनुरूप तकनीकी स्वीकृति इत्यादि प्राप्त उपरांत अन्य आगामीं कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

(4) मण्डी निधि, स्थाई निधि के तहत लिये जाने वाले निर्माण कार्यों का बोर्ड मुख्यालय के अनुमोदन के पूर्व प्रशासकीय अनुमोदन/निविदा आदि का कार्य न किया जावें ।

(5) मण्डी अधिनियम की धारा 25-क(6) के अनुसार स्थाई निधि से केवल स्थाई प्रकृति की मद में उपयोग किया जाएगा, जैसे भवन का निर्माण या मण्डी प्रांगण के लिए स्थान की खरीदी या अर्जन कार्य किये जा सकते है। अतः मरम्मत आदि का कार्य जो कि स्थाई रूप के नहीं है, न लिये जावें। स्थाई निधि प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना न उपयोग करें।

(6) कार्य- योजना में विगत 03 वर्ष में विभिन्न मदों से स्वीकृत, व्यय एवं शेष राशि तथा पूर्ण/ अपूर्ण कार्यों का भीं वर्षवार उल्लेख करें ।

वार्षिक कार्य-योजना में मण्डी समिति की स्थाई निधि से प्रस्तावित किये जाने वाले कार्य स्थाई निधि में उपलब्ध राशि के सापेक्ष 80% से अधिक, सम्मिलित/अनुमोदित नहीं किये जावेंगे।

(जी० व्ही० रश्मि)
~~प्रबंध संचालक~~ सह-आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

निरन्तर —

क्र/बोर्ड/नि०/मंडी /कार्ययोजना/परिपत्र /2023-24/1286 भोपाल, दिनांक 22.02.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01 .निज सहायक प्रबंध संचालक, म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

02 .अपर संचालक, म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल (समस्त)।

03. उप संचालक/संयुक्त संचालक, म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल(समस्त)।

04. अधीक्षण यंत्री, म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

05. उप संचालक/संयुक्त संचालक, म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय(समस्त)।

06. कार्यपालन यंत्री, म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग............. (समस्त)।

07. सचिव/भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति................ जिला .... (समस्त)।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल